T.A. No.- 02/08

आदेश

14.10.2019 उभय पक्ष की हाजरी दी गई।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता अपना पहला आवेदन दि0– 12.06.2019 को संचालित कर निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत वाद् के उत्तरवादी स0– 31 कुमार कुणाल दि0– 17.03.2016 को अविवाहित स्वर्गवासी हो गए है। अतः प्रस्तुत अपीलवाद् से उनका नाम विलोपित करने का आदेश दिया जाए।

दूसरे आवेदन को संचालित कर निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत वाद् के उत्तरवादी स0–26 नंद किशोर गुप्ता अपने पीछे जायज वारिसान एक पुत्र मुकेश कुमार एवं दो पुत्री सदामा देवी एवं अनिता देवी को छोड़कर दि0– 18.01.2018 को मर गए हैं। अतः अपीलवाद् के उत्तरवादी स0– 26 नंद किशोर गुप्ता का नाम काट कर उनके जायज वारीसानों का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश पारित किया जाए।

उत्तरवादी स0–1 के विद्वान अधिवक्ता अपना पहला विरोध पत्र दि0– 21.08.2019 को संचालित कर निवेदन करते हैं कि अपीलकर्ता के उत्तरवादी स0– 31 के मरने से संबंधित कोई प्रमाण पत्र नहीं दाखिल किया तथा आवेदन करीब चार वर्ष विलम्ब से लाया गया है। अतः इसे खारिज किया जाए।

उत्तरवादी के दूसरा विरोध दि0– 21.08.2019 को उनके विद्वान अधिवक्ता संचालित कर निवेदन करते है कि अपीलकर्ता ने विगत दि0– 12.06.2019 को उत्तरवादी स0– 26 नंद किशोर गुप्ता के मरने एवं उनके वंशजो को पक्षकार बनाने एवं विलम्ब माफी का आवेदन दिया है जो विचारणीय नहीं है उत्तरवादी स0– 26 दि0– 18.01.2018 को नही मरे है बल्कि उनकी मृत्यु दि0– 15.05.2018 को हुई है। अतः उनका आवेदन खरिज कर मोकदमा को अवेटेड किया जाए।

उभय पक्षों का सुना। मृत्यु के संबंध में कोई विवाद नही है केवल तिथि की भिन्नता दर्शायी गई है। अपीलकर्ता की ओर से दोनो आवेदन के साथ शपथ पत्र दाखिल किया गया है लेकिन अपीकर्ता द्वारा आवेदन विलम्ब से दाखिल किया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अपीकर्ता के दोनों आवेदनों को स्वीकृत करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपीलकर्ता का विलोपन हेतु दिया गया आवेदन दि0– 12.06.2019 को ***स्वीकृत*** किया जाता है तथा दूसरा प्रतिस्थापन्न आवेदन दि0– 12.06.2019 को मो0– 250/– रूपये परीव्यय पर ***स्वीकृत*** किया जाता है।

अपीलकर्ता आदेश के आलोक में आवेदनानुसार विलोपन एवं प्रतिस्थपन्न की कारवाई करे

दिनांक– **05.11.2019** विलोपन एवं प्रतिस्थानन्न करने हेतु।

ले0

अ0 जि0 न्या0–10

Web Copy not official